न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, (फा0ट्रै0) नगर

पीठासीन अधिकारी :– राजवीरसिंह यादव आर0ए0एस0

मुकद्मा नम्बर :– 670 / 2013

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. मुस. रामकली पुत्री हरफूल
2. जयसिंह पुत्र हरफूल
3. मुस. कुन्ता पुत्री हरफूल
4. मुस. सन्ता पुत्री हरफूल
5. मुस. राजन्ती पुत्री हरफूल
6. राजेश पुत्र मदन
7. मुकेश पुत्र मदन
8. मुस. कमला पुत्री मदन
9. प्रेमचन्द पुत्र मदन
10. श्रीचन्द पुत्र रामजीलाल
11. हरीचन्द पुत्र रामजीलाल
12. हरीराम पुत्र रामजीलाल
13. विक्रम पुत्र रामजीलाल
14. किसनी पुत्री रामजीलाल
15. मुस. मुन्नी पुत्री रामजीलाल

जातियान मेघवाल (चमार) निवासियान ग्राम सींगराका तह0 रामगढ जिला अलवर

—— वादीगण

बनाम

1. हीरालाल पुत्री भूरजी
2. किसनलाल पुत्र भूरजी
3. चरनसिंह पुत्र भूरजी
4. मुस. फूलवती पुत्री भूरजी
5. रणजीत पुत्र ओमप्रकाश
6. रतनलाल पुत्र भौंडा
7. श्यामलाल पुत्र भौंडा
8. मुस. अंगूरी पुत्री भौंडा
9. मुस. बुद्धो पुत्री भौंडा
10. यादराम दत्तक पुत्र नज्जू (नवासा)
    जातियान मेघवाल (चमार) निवासियान ग्राम सींगराका तह. रामगढ जिला अलवर
11. तहसीलदार /सब रजिस्ट्रार नगर
12. नायब तहसीलदार / सब रजिस्ट्रार सीकरी

—— प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित –

श्री अनिल कुमार गोयल, अधिवक्ता वादीगण

श्री मुवीन खां, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक 19/01/2018

वादी ने यह दावा इस आश्य का संस्थित किया है कि वि0आ0ख0नं0 106/0.67, 110/0.56, 115/0.65, 133/0.61 बाके ग्राम हयातपुर तह0 नगर साविक आ0ख0नं0 102, 120, 121, 125 से कायम हुए है जो हम दोनो पक्षकारान के पूर्वजों की सम्पत्ति है जिस पर वे मुताविक हिस्सा काबिज रहकर काश्त कर रहे हैं । पक्षकारान का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है –

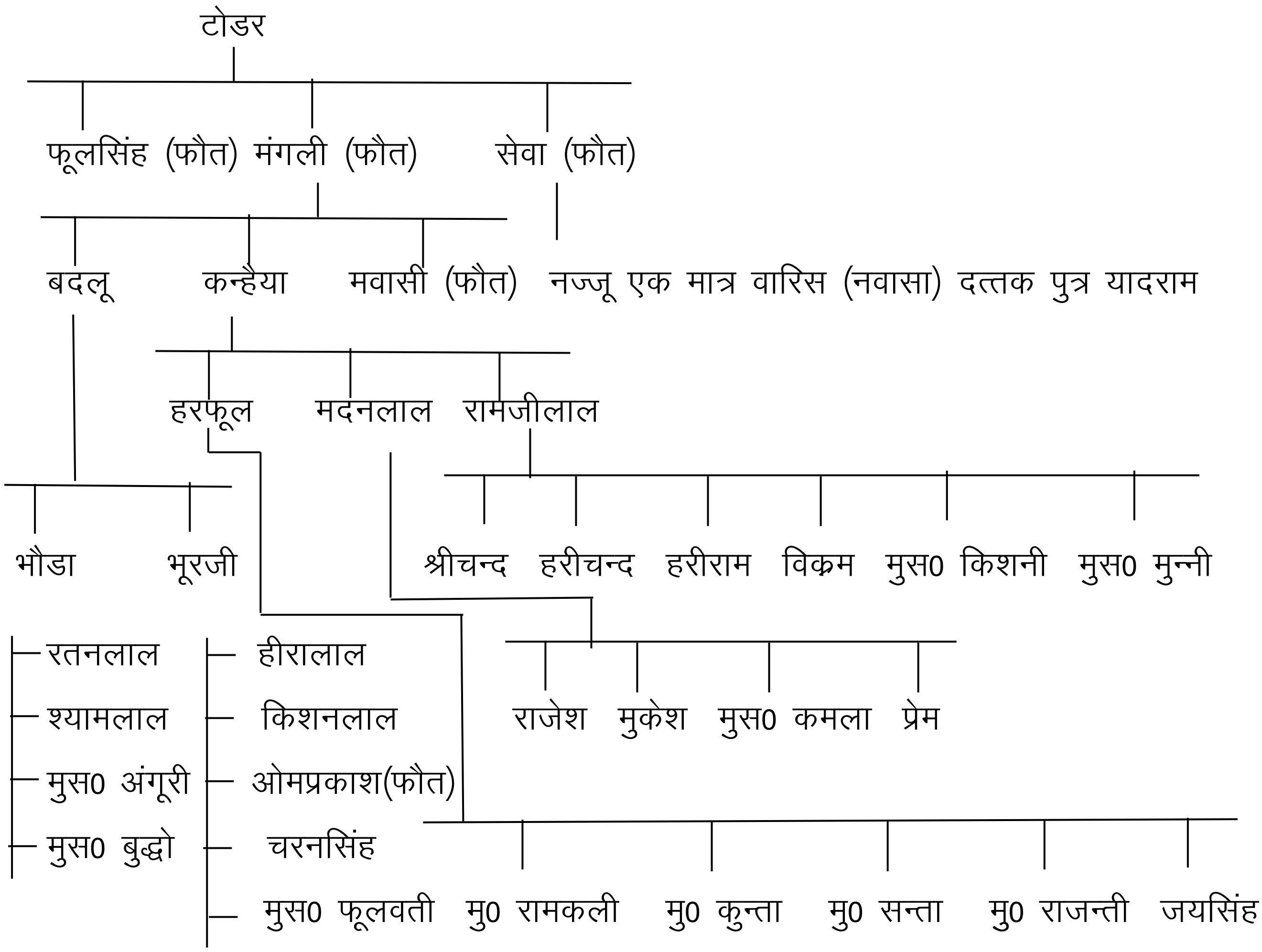

भूरजी, भौंडा पिस0 बदलू तथा मवासी पुत्र मंगली है किन्तु प्रतिवादी0 ने जानबूझकर राजस्व कर्मचारियों से मिलकर भूरजी, मवासी, भौडा पिस0 बदलू दर्ज करा लिया है जो शुद्धि योग्य है । वि0आ0 के हिस्सा 1/2 में से हरफूल के वारिसान वादी0 संख्या 1 लगायत 5 हिस्सा 1/3 पर मदन के वारिसान, वादीगण संख्या 6 से 9 हिस्सा 1/3 पर रामजीलाल के वारिसान, वादीगण संख्या 10 से 15 हिस्सा 1/3 पर तथा हिस्सा 1/2 में से भूरजी के वारिसान प्रति0 संख्या 1से 5 हिस्सा 1/2 पर तथा भौंडा के वारिसान प्रति0 संख्या 6 से 9 हिस्सा 1/2 पर काबिज रहकर काश्त कर रहे हैं । प्रतिवादीगण का वादी0 के हिस्से से कोई संबंध किसी किस्म का नही है । हम दोनो पक्षकारान का पूर्वज बदलू कर्ता खानदान था जिससे बदलू ने राजस्व कर्मचारियों से सांठ गांठ करके इन्द्राज अपने नाम करा लिए थे । मवासी की वास्तविक वल्दियत मंगली है जो लावल्द विला औरत था, फूलसिंह भी ला वल्द बिला औरत था तथा सेवा ने भी मौखिक रूप से अपना हक त्याग कर दिया था जिसके कारण वि0आ0 बदलू व कन्हैया के पास रही, मवासी को बदलू का पुत्र दर्शा दिया जबकि मवासी मंगली का पुत्र है जो शुद्धि योग्य है । प्रतिवादीगण इस गलत इन्द्राज के आधार पर कब्जे काश्त वादी में हस्तक्षेप करने एवं आराजी को रहन वय मुंतकिल करने पर आमादा है । इसकी एलानियां धकमी दिनांक 11.09.2013 को वादीगण को दी है । यदि वे अपने इरादे में सफल हो गये तो वादी0 को असीम क्षति होगी । विदि वजह वादीगण डिक्री डिक्लेरेशन एवं हुक्म इम्तनाई दवामी पाने के अधिकारी हैं । अंत में निवेदन किया है कि दावा वादीगण डिक्री फरमाया जाकर आ0ख0नं0 106/0.67, 110/0.56, 115/0.65, 133/0.61 किता 4 रकबा 2.49 हैक्टे0 बाके ग्राम हयातपुर तह0 नगर से वर्तमान इन्द्राज कलमजन किये जाकर 1/2 हिस्सा में से हरफूल के वारिसान वादीगण रामकली, जयसिंह, कुन्ता, सन्ता, राजवती को हिस्सा 1/3 पर, मदन के वारिसान वादीगण राजेश, मुकेश, कमला, प्रेमचन्द को हिस्सा 1/3 पर, रामजीलाल के वारिसान वादीगण श्रीचन्द, हरीचन्द, हरीराम, विक्रम, किशनी, मुन्नी को हिस्सा 1/3 पर तथा 1/2 हिस्सा में से भूरजी के वारिसान प्रति0 रतनलाल, श्यामलाल, अंगूरी, बुद्धो को हिस्सा 1/2 पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा भूरजी, मवासी, भौंडा पिस0 बदलू में से मवासी का नाम कलमजन किया जाकर भूरजी, मवासी पिस0 बदलू दुरूस्त किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि वे वादीगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप न करें तथा आराजी को रहन वय मुंतकिल न करें ।

छावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी0 को जरिए सम्मन तलब किया गया । प्रति0 संख्या 6, 11 एवं 12 के बावजूद इत्तला न्यायालय में उपस्थित नही होने पर दि0 24.11.14 को उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई । प्रतिवादीगण द्वारा जबाव दावा प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद भी जबाव प्रस्तुत नही करने पर दिनांक 07.10.2016 को उनका जवाब बंद किया गया ।

वादीगण के द्वारा अपने दावा के समर्थन में नकल जमाबंदी सं0 2070–76 प्रदर्श–1, नकल जमाबंदी सं0 2010 प्रदर्श–2, नकल खसरा पत्रक किता 4, प्रदर्श–3, नकल खेवट खतौनी सं0 1988 प्रदर्श–4, नकल खेवट खतौनी सं0 1994 प्रदर्श–5, नकल फोटो प्रति0 नामा0 संख्या 62 प्रदर्श–6 दस्तावेजात प्रस्तुत किये हैं तथा मौखिक साक्ष्य में वादी जयसिंह पीडब्ल्यू–1, एवं गवाह रामदयाल पीडब्ल्यू–2, यादराम पीडब्ल्यू–3 के शपथ–पत्र प्रस्तुत किये हैं ।

हमने उभय पक्ष के विद्धान अभिभाषकों की बहस सुनी तथा पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया । नकल जमाबंदी ग्राम हयातपुर सं0 2070–73 प्रदर्श–1 के खाता संख्या 103 पर वि0आ0 ख0नं0 106/0.67, 110/0.56, 115/0.65, 133/0.61 की बावत् – ''भूरजी, मवासी, भौंडा पिस0 बदलू कौम मेघवाल सा0 सींगराका जिला अलवर गैरखातेदार'' दर्ज रिकार्ड हैं। नकल खसरा पत्रक भू प्रबंध विभाग प्रदर्श–3 के अनुसार हाल ख0नं0 106/0.67 साविक ख0नं0 120 व 121 से, हाल ख0नं0 110/0.56, 115/0.65 साविक ख0नं0 125 से तथा हाल ख0नं0 133/0.61 साविक ख0नं0 102 से बनाया जाना साबित होता है तथा खाना नम्बर 23, 24 (नाम कृषक गत व हाल) में बदलू पुत्र मंगली कौम चमार सा0 सींगराका जिला अलवर गैरखातेदार'' दर्ज हैं तथा विशेष विवरण में ''इन्तकाल नं0 62 ता0 05/07/1975 के द्वारा ख0नं0 106, 110, 115, 133 से बदलू का नाम खारिज कर भूरजी, मवासी, भौंडा का नाम दर्ज किया'' का नोट अंकित है । नकल नामां0 संख्या 62 ग्राम हयातपुर प्रदर्श–6 के अवलोकन करने पर पाया कि यह नामा0 साविक ख0नं0 120 रकबा 2 बीघा 4 विस्वा, 121 रकबा 1 बीघा 15 विस्वा, 125 रकबा 7 बीघा 4 विस्वा, 102 रकबा 3 बीघा 16 विस्वा किता 4 रकबा 14 बीघा 19 विस्वा पर बदलू पुत्र मंगली जाति चमार साकिन सींगराका जिला अलवर गैरखातेदार के स्थान पर विरासत से भूरजी, मवासी व भौंडा पिस0 बदलू कौम चमार सा0 सींगराका जिला अलवर गैरखातेदार दर्ज किया गया है जिसमें बदलू का सजरा बनाया गया है जिसमें बदलू के तीन पुत्र भूरजी, मवासी व भौंडा होना साबित होता है । नकल जमाबंदी सम्वत् 1988 प्रदर्श–4 में साविक ख0नं0 120 रकबा 2 बीघा 4 विस्वा एवं ख0नं0

121 रकबा 1 बीघा 15 विस्वा की बावत् – ''फूलसिंह वल्द टोडर कौम चमार सा0 सींगराका राज्य अलवर गैरमौरूसी'' दर्ज होना पाया जाता है । नकल जमाबंदी सं0 1994 प्रदर्श–5 में साविक ख0नं0 120 व 121 की बावत् –''फूलसिंह वल्द टोडर कौम चमार सा0 सींगराका जिला अलवर गैरमौरूसी व काश्त सेवा वल्द टोडर, बदलू वल्द मंगली, गोमा वल्द रेखा कौम चमार सा0 सींगराका जिला अलवर शिकमी बहि0बराबर'' दर्ज तथा साविक ख0नं0 125 रकवा 7 बीघा 1 विस्वा की बावत् – ''बदलू वल्द मंगली कौम चमार साकिन सींगराका जिला अलवर गैरमौरूसी'' दर्ज है । इस प्रकार उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख के विवेचन से वि0 आराजी बदलू पुत्र मंगली की कब्जे काश्त की आराजी होना साबित है तथा बदलू की मृत्यु के बाद विरासत से इं0नं0 62 के द्वारा भूरजी, मवासी, भौंडा पिस0 बदलू के नाम दर्ज किया जाना साबित है जो गत पैंतालिस वर्ष से ही भूरजी, मवासी, भौंडा के नाम दर्ज हो रही है तथा नामा0 संख्या 62 को आज तक चुनौती नही दी गई है । वादीगण अपने वाद–पत्र में वर्णित पारिवारिक सजरा को साबित करने में असफल रहे हैं । इस प्रकार वादीगण अपने दावा को साबित करने में असफल रहे हैं जिससे दावा डिक्री किये जाने योग्य नही है । अतः आदेश है कि –

दावा वादीगण खारिज किया जाता है । इसी प्रकार पर्चा डिक्री जारी हो ।

(राजवीरसिंह यादव)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फा0ट्रै0) नगर

निर्णय आज दिनांक 19/01/2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राजवीरसिंह यादव)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फा0ट्रै0) नगर